:: प्रेस विज्ञप्ति ::

दिनांक – 22.09.2019

थाना तरेगांव जंगल

अपराध क्रमांक :-32/2019

धारा :- 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, 38(2) एवं विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1967

- **कबीरधाम पुलिस को मिली बड़ी सफलता,**
- **नक्सलियों की काफी मात्रा में विस्फोटक समाग्री बरामद,**
- **काफी मात्रा में नक्सलियों की दैनिक उपयोग की समाग्री बरामद।**

----00----

श्री डी.एम. अवस्थी पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, श्री हिमांशु गुप्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दुर्ग रेंज दुर्ग, श्री रतन लाल डांगी उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज राजनांदगांव के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत् दिनांक 21.09.2019 को डॉ लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देशन में कबीरधाम पुलिस को नक्सलियों के डम्प बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 21.09.2019 को सूचना प्राप्त हुआ कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे नक्सली संगठनो के द्वारा पुलिस पार्टी को नुकसान पहुॅचाने एवं जान से मारने की नियत से एक राय होकर थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र के ग्राम धूमाछापर के जंगल में विस्फोट पदार्थ एवं अन्य सामाग्री जमीन में गाड़कर(दबाकर) रखे है, कि उक्त सूचना की तस्दीकी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल, जिला कबीरधाम उप निरीक्षक सौरभ उपध्याय को हमराह पुलिस पार्टी के संभावित क्षेत्र में रवाना किया गया था। मौका स्थल ग्राम धूमाछापर के पास जंगल में पुलिस पार्टी पहुॅचकर सावधानीपुर्वक एवं बारीकी से निरीक्षण करने पर नक्सलियों द्वारा तीन अलग-अलग स्थानों में प्लास्टिक के बड़ा-बड़ा डिब्बा में भरकर जमीन के अंदर दबाकर रखे विस्फोट पदार्थ एवं अन्य सामाग्री मिला जिसे पुलिस पार्टी द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन करने हुये सुरक्षा औजार से बाहर निकाला। गड्डे से प्राप्त प्लास्टिक के डिब्बो में नक्सल साहित्य, डेटोनेटर-05 नग, टाप टाईगर बम-02 कार्टून, बंडल तार- 05 (जिसमें 01 खुला तार), कुकर-13 नग (जिसमें 03 नग बड़ा कुकर), स्पींटर (छड़ का टुकड़ा)-करीब 05 किलोग्राम लगभग ,कलर प्रिंटर-01 नग मय केबल वायर, कलर इंक-02 नग, ए-4 साईज पेपर-आधा ईस्तमाली, एमशील-16 नग, प्लग साकेट-01 डिब्बा, प्लास्टिक ड्रम बड़ा-02 नग एवं प्लास्टिक छोटा ड्रम-01नग, फेवीकॉल-01 डिब्बा, वर्दी पैंट काला रंग-01 नग, ताल पतरी नीला रंग-01 नग, टीवी डिसी कनवरटर-01 नग, चप्पल काला रंग-01 नग मिला है, जिसे मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। नक्सलियों का कृत्य धारा 3,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध पाये जाने से थाना तरेंगांव जंगल में अपराध क्रमांक- 32/2019 धारा 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, 38(2) विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1967 कायम किया गया है।

उक्त कार्यवाही में कबीरधाम पुलिस बल द्वारा सराहनीय कार्य किये जाने पर श्री हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दुर्ग रेंज दुर्ग के द्वारा 25,000/-रूपये की नगद ईनाम की घोषणा किया गया है।

नक्सलियों द्वारा डम्प किये गये सामग्री